न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07/2020	31.01.2020	30.07.2025

1. अब्दुल अजीज पुत्र बशीर, मुसलमान, गद्दी बस्ती, शीतला रोड, गंगापुर
2. नसीर पुत्र बशीर, मुसलमान, गद्दी बस्ती, शीतला रोड, गंगापुर सिटी
3. जसोदा देवी पत्नी चिंरजी, कोली, शफीपुरा तह0 बामनवास ——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए बैंक मैनेजर——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री परमानंद शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 129 रकबा 0.13 है0 ग्राम मिर्जापुर वर्तमान मे वादी संख्या 1 अब्दुल अजीज की खातेदारी मे अंकित है, ख0न0 1249/129 रकबा 0.01 है0 एवं ख0न0 131 रकबा 0.11 है0 ग्राम मिर्जापुर वादी संख्या 2 नसीर की खातेदारी मे अंकित है। ख0न0 129 पूर्व मे 14 एयर रकबे का था। जिसे विभाजन के आधार पर वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से अनुसार उनकी खातेदारी में अंकित किया गया है। खसरा नम्बर 129 व 131 साविक खसरा नम्बर 74 के हाल खसरा नम्बर 129 व 131 के अलावा अन्य खसरा नम्बर भी कायम किये गये है। इसी प्रकार ख0न0 130 रकबा 0.14 है0 वादी संख्या 3 की खातेदारी मे अंकित है। ख0न0 130 साबिक ख0न0 [illegible] 15 बिस्वा ग्राम मिर्जापुर से बना है। वादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी [illegible] ख0न0 129 रकबा 0.14 है0 अंकित है जिसमे विभाजन के आधार पर 0.13 है0 भूमि [illegible] अब्दुल अजीज के नाम व 0.01 है0 भूमि वादी नसीर के नाम अंकित हुई है। ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

131 तन्हा रूप से वादी नसीर के नाम अंकित है। दोनो ख0न0 129 व 131 का योग 0.25 है0 होता है अर्थात एक बीघा भूमि वादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है। इसी प्रकार 0.14 है0 भूमि वादी संख्या 3 के नाम ख0न0 130 के रूप मे अंकित है जिस पर वादी संख्या 3 काबिज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 74 के जो ख0न0 129 रकबा 0.14 है0 व 131 रकबा 0.11 है0 बनाये है। उसके अनुरूप वादी संख्या 1 व 2 भूमि पर काबिज है परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दोनो खसरा नम्बरों के 0.25 है0 क्षेत्रफल के अनुरूप नक्शा शीट नही बनायी है अर्थात वादी संख्या 1 व 2 को ख0न0 129 व 131 का भू क्षेत्रफल तो 0.25 है0 प्राप्त हुआ है परन्तु बनाये गये नक्शे मे कम भूमि के नाप का नक्शा त्रुटिवश बना दिया गया है। ख0न0 129 व 131 रकबा 0.25 है0 की भू माप के अनुसार नक्शे मे उक्त दोनो ख0नम्बरान की पूर्वी भुजा वर्तमान के स्थान पर पूर्व दिशा की ओर ख0न0 130 के कुछ हिस्से तक आनी चाहिए थी। इसी प्रकार ख0न0 130 रकबा 0.14 है0 की पूर्वी भुजा को भी भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से नक्शे मे बनाया गया है। भूप्रबन्ध द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उसमे 0.14 है0 से कम भूमि की माप अंकित की गई है। वास्तविकता मे ख0न0 130 की पूर्वी दिशा, ख0न0 138 की ओर बढा कर अंकित करनी चाहिए थी। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ख0न0 129 व 131 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 130 रकबा 0.14 है0 के अनुरूप नक्शा नही बनाया गया है। वादीगण स्वयं की खातेदारी मे अंकित भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार मौके पर काबिज है। वास्तव मे जिस प्रकार नक्शा बनाया जाना चाहिए था उसका प्रारूप वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे अंकित किया गया है। संलग्न नजरी नक्शे मे अ–ब लाल रेखाओ के मध्य ख0न0 129 व 131 रकबा 0.25 है0 की पूर्वी भुजा ख0न0 130 की ओर बननी चाहिए थी। इसी प्रकार बिन्दु स–द लाल रेखाओं के मध्य ख0न0 130 की पूर्वी दिशा बननी चाहिए थी। उक्त त्रुटि का

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया संज्ञान पुराने व नये राजस्व नक्शों के अवलोकन से प्रकट होता है। ख0न0 130 का साबिक ख0न0 75 रहा है के पूर्व दिशा की ओर साबिक ख0न0 76 रकबा 1 बीघा रास्ते के रूप मे अंकित रहा है। इसी प्रकार साबिक ख0न0 74 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर साबिक ख0न0 120 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा मिश्रित गांवों की भूमि अथवा जो भूमि ग्राम के पशुओ के चरने व अन्य कामों के रूप लाई जाती है, के रूप मे चारागाह के लिए अंकित रहा है। साबिक ख0न0 120 व 76 के वर्तमान ख0न0 138 रकबा 0.61 है0, ख0न0 142 रकबा 0.15 है0, ख0न0 143 रकबा 0.72 है0 राजकीय भूमि के रूप मे बनाये गये है। उक्त तीनों नम्बरों का योग 1.48 है0 बनता है जो साबिक ख0न0 76 रकबा 1 बीघा व 120 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा से लगभग 0.26 है0 अधिक भूक्षेत्र है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 76 व 120 के नवीन ख0न0 138 का नक्शा हाल ख0न0 130, 131, 129 की भूमि को दबाते हुए गलत रूप से बनाया है। वास्तविकता मे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे प्रदर्शित लाल रेखा अ–ब तथा स–द के अनुरूप ख0न0 129, 131, 130 का नक्शा बनाना चाहिए था। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा बनाने मे की गई भूल या गलती काबिले दुरूस्ती योग्य है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वदीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 1249/129 रकबा 0.01 है0 व ख0न0 129 रकबा 0.13 है0 जो वादी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन से पूर्व ख0न0 129 रकबा 0.14 है0 के रूप मे अंकित रहा है तथा ख0न0 131 रकबा 0.11 है0 कुल वादी संख्या 1 व 2 के हक मे अंकित भूक्षेत्र के अनुसार कम भूक्षेत्र के भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शे को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे अ–ब स–द रेखाओ के मध्य प्रदर्शित अनुसार संशोधित कर ख0न0 129 व 131 की पूर्वी भुजा को ख0न0 130 की ओर वर्तमान नक्शा शीट मे संशोधित किये जाने की डिक्री बहक वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

संख्या 1 व 2 फरमायी जावे तथा ख0न0 130 की नक्शा शीट को दावपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे स–द लाल रंग की रेखाओं के अनुसार संशोधित किये जाने की डिक्री बहक वादिया संख्या 3 फरमायी जावे, तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1को आदेश फरमाया जावे कि वह उक्त अनुसार वर्तमान नक्शा शीट को संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड मे संशोधन करें तथा प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित फरमाया जावे कि वादीगण जो अपनी खातेदारी मे अंकित भूक्षेत्र पर काबिज है उनको दोषपूर्ण नक्शे के आधार पर अपने भूक्षेत्र के उपयोग, उपभोग, प्रयोग व कब्जे मे न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावे, वादाधीन भूमि से वादीगण को किसी प्रकार बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जबाव मे अंकित किया है वादी नसीर ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को मिन जबाबदार बैंक मे रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण लिया है जिसकी अदायगी आज तक नही की है एवं उस पर ऋण राशि बकाया चल रही है। जब तक ऋण राशि बैंक को अदा नही की जावेगी तब तक वादी बंटवारे का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जबाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

लैण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रकरण मे लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रकबा बराबरी पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 11.1.2022 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से उनके यहाँ प्रस्तुत पटवारी हल्का ... सिटी की मूल रिपोर्ट दिनांक 7.1.2022 इस न्यायालय को प्रेषित ...

इस रिपोर्ट पर वादीगण ने आपत्ति दिनांक 19.4.2022 को प्रस्तुत की। जिसमे वादीगण ने अंकित किया कि सम्बधित पटवारी हल्का ने दिनांक 7.1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

2022 को जो रिपोर्ट दी है, जिसने एकबा बरारी मोगिया शीट से किया जाना बताया गया है जबकि वर्तमान प्रचलित नक्शा शीट से मौके पर स्थित भूक्षेत्र की नाप पर खसरा बरारी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अतः प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि ख0न0 1249/129 रकबा 0.01 है0, ख0न0 129 व 131 की वर्तमान प्रचलित कपडे की शीट से मौके पर मोजूद एवं राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित वादीगण के भूक्षेत्र के अनुसार रकबा बरारी कर रिपोर्ट मंगवाने के आदेश फरमाये जावें।

वादीगण के इस प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.1.2025 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी से पुनः बरारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/2025/1538 दिनांक 9.5.2025 के साथ पटवारी हल्का, पटवार मंडल गंगापुर व भू अभिलेख निरीक्षक गंगापुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 130, 10, 213 ग्राम मिर्जापुर, नकल साबिक व हाल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2039 बाबत चारागाह भूमि, खातेदारी बशीर पुत्र कजोड मुसलमान, नकल जमाबंदी संवत 2014–17, नकल जमाबंदी संवत 2016, नकल हाल नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वादपत्र मे मूल रूप से यह अंकित किया है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ख0न0 129, 131, 130 का जो नक्शा ट्रेस जो तैयार किया है वह जमाबंदी मे अंकित रकबे के अनुसार तैयार नही किया है। भूप्रबन्ध विभाग को नक्शा ट्रेस जमाबंदी दर्ज रकबे के अनुसार दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

था। इस सम्बन्ध मे वादीगण ने उनके नाम अंकित खातेदारी भूमि की नकल जमाबंदी भी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत मामले मे तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से दिनांक 12.5.2025 को प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न गिरदावर व पटवारी हल्का गंगापुर की मूल रिपोर्ट दिनांक 9.5.2025 का अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि ख0न0 1249/129 रकबा 0.01 है0, ख0न0 129 रकबा 0.13 है0, ख0न0 130 रकबा 0.14 है0, ख0न0 131 रकबा 0.11 है0 को मौके पर जाकर देखा गया एवं उनकी नाप की गई। उक्त खसरा नम्बरान को मौके पर मिलाया हुआ है तथा ख0न0 129 व 131 राजस्व ग्राम बाढ महानंदपुर की सीमा पर स्थित है। ख0न0 130 गैर मुमकिन चारागाह, ख0न0 138 से लगता हुआ है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान को मोमिया शीट से नापने पर इन चारो खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल वर्तमान मे जमाबंदी मे अंकित क्षेत्रफल से कम आता है। जमाबंदी मे चारों खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल 0.39 है0 अंकित किया हुआ है और मोमिया शीट से पैमाइश करने पर उक्त चारो खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल 0.3670 है0 बैठ रहा है जो जमाबंदी मे अंकित रकबे से 0.0230 है0 कम आता है। यह कमी रकबा गैर मुमकिन चारागाह भूमि ख0न0 138 रकबा 0.61 है0 की तरफ बढना चाहता है अर्थात खेत एवं सडक के मध्य स्थित चारागाह भूमि की तरफ बढना चाहता है। ख0न0 130 का गत खसरा नम्बर 75 था जिसका रकबा 15 बिस्वा था जिसका 0.19 है0 रकबा बनता है। लगभग 0.05 है0 रकबा सेटिलमेन्ट ने काट कर ख0न0 138 रकबा 0.61 है0 मे मिला दिया है। वर्तमान मे ख00 138 का रकबा बढा हुआ है। इस प्रकार चारो खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.39 है0 वर्तमान ख0न0 138 गैर मुमकिन चारागाह की तरफ बढना चाहता है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादी संख्या 1 व 2 का रकबा नक्शा ट्रेस मे जमाबंदी के मुकाबले कम दिखाया गया है जिसे वादी संख्या 3 के खसरा नम्बर 130 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

शामिल कर दिया गया है तथा वादी संख्या 3 के खसरा नम्बर 130 के रकबे को खसरा नम्बर 138 चरागाह भूमि के नक्शा ट्रेस में शामिल कर दिया गया है एवं चरागाह खसरा नम्बर 138 का रकबा बढा दिया गया है। प्रकरण में नक्शा ट्रेस के संशोधन से चरागाह भूमि का रकबा प्रभावित होता है एवं चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। इसलिए चरागाह भूमि में से वादीगण को रकबा नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. अब्दुल अजीज पुत्र बशीर, मुसलमान, गद्दी बस्ती, शीतला रोड, गंगापुर
2. नसीर पुत्र बशीर, मुसलमान, गद्दी बस्ती, शीतला रोड, गंगापुर सिटी
3. जसोदा देवी पत्नी चिंरजी, कोली, शफीपुरा तह0 बामनवास ——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए बैंक मैनेजर——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –07/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ....मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपजिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)